



# राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्लाट नं ० ए १, आई०टी० पार्क, सहस्रनगर रोड, देहरादून - 248013  
ई-मेल: ceo-shauk@uk.gov.in



पत्रांक: रा०स्वा०प्रा०/ हॉस्पिटल मैनेजमेंट / HOSP5P02040 / ८०५

दिनांक : ०१ नवम्बर २०२२

प्रेषित,

डा० दिनेश शर्मा,  
चिकित्सालय संचालक,  
अमृतसर आई क्लीनिक,  
१२२/१, ई०सी० रोड, देहरादून।

विषय: सूचीबद्धता हेतु किये गये अनुबंध के Section 11(2) अनुसार 01 माह का नोटिस प्रेषित किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि जी०डी० अमृतसर आई क्लीनिक, १२२/१, ई०सी० रोड, देहरादून को दिनांक 25 अगस्त 2018 को जनपद स्तरीय इम्पैनलमैंट समिति की संस्तुति उपरान्त राज्य हैत्य एजेंसी द्वारा दिनांक 25 अगस्त 2018 को योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकृत किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत जी०डी० आई हॉस्पिटल, वेरिया रोड, निकट प्रकाश पेपर मिल, बाजपुर, जनपद उद्धमसिंह नगर के द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के उपरान्त योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता प्रदान की गई थी।

2. यह कि हस्ताक्षरित अनुबन्ध Section 11 (2) Termination के अनुसार

This Agreement may be terminated by either party by giving one month's prior written notice by means of registered letter or a letter delivered at the office and duly acknowledged by the other, provided that this Agreement shall remain effective thereafter with respect to all rights and obligations incurred or committed by the parties hereto prior to such termination.

3. उक्त विषय पर सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि हॉस्पिटल तथा SHA के मध्य हस्ताक्षरित अनुबन्ध के Section 11, Clause 2 के अनुसार SHA द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2022 से अनुबन्ध को समाप्त किया जाता है और हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त की जाती है। तदनुसार दिनांक 01 दिसम्बर 2022 को पोर्टल से चिकित्सालय की Login ID deactivate हो जायेगी।

भवदीय,

(डा० आर०पा० खंडूडी)  
निदेशक-हॉस्पिटल मैनेजमेंट